

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

14/2017

तारीख रजु:- 10.02..2017

सीन अधिकारी:- जगदीश आर्य

उनवान

सीराम पुत्र रामनिवास महाजन निवासी टोडाभीम

(वादी)

बनाम

शशवन्त पुत्र हरिवल्लभ जाति महाजन निवासी टोडाभीम।

जुगलकिशोर पुत्र भगवान सहाय जाति महाजन निवासी प्लाट न0 147 अग्रसेन नगर लाल बाग सांगानेर जयुपर।

पुरुषोत्तम पुत्र भगवान सहाय जाति महाजन निवासी मकान न0 14 महर्षि दयानन्द कालोनी गायत्री नगर अजमेर रोड व्यावर।

तहसीलदार (उप पंजीयक) टोडाभीम।

(प्रतिवादीगण)

दावा वावत तकास्मा आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति:- श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट (वादी)

1. विष्णु कुमार कंटक एडवोकेट प्रतिवादी न0 1 व 3 (प्रतिवादी)
2. रमेश चन्द सैनी एडवोकेट प्रतिवादी न0 2

निर्णय

निर्णय दिनांक:- 21.06.2018

वादीगण की और से आराजीयात हाल ख0न0 2798 रकवा 0.44 ,2799 रकवा 0.71, 2817 रकवा 0.49, 2818 रकवा 0.58, 2834 रकवा 0.73, 2835रकवा 0.35, 2835/7616 रकवा 0.01 2836 रकवा 0.23, 2837रकवा 0.33, 2838 रकवा 0.02, 2839 रकवा 0.26, 2840 रकवा 0.46 कुल किता 12 रकवा 4.61 है0 टोडाभीम 11 विस्वा मे स्थित है। जिसमे वादी 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी न0 2 व 3 व मॉ किशनप्यारी 1/3 की खातेदार काशतकार है। बुजुर्गो से विरासत मे भूमि प्राप्त हुई है। प्रतिवादी न0 1 के पिता हरिवल्लभ का देहावसान हो चुका है। हरिवल्लभ के जायज कायम मुकाम प्रतिवादी न0 1 है। किशन प्यारी का भी देहावसान हो चुका है जिसमे जायज कायम मुकाम प्रतिवादी न0 2 व 3 है। दावा पेश होने पर प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर काउन्टर क्लेम जबाब पेश कर अपना-अपना हिस्सा अलग कराने हेतु पेश किया। बाद सुनवाई दावा मय काउन्टर क्लेम दिनांक 06.07.2017 को प्राथमिक डिक्री किया गया। तथा तहसीलदार टोडाभीम को वटवारा कमिश्नर नियुक्त किया गया।


तहसीलदार टोडाभीम की और से वटवारा स्कीम प्रस्तुत हुई। वकील उभयपक्ष ने वटवारा स्कीम का अवलोकन कर मुताबिक वटवारा स्कीम वादी का दावा मय काउन्टर क्लेम प्रतिवादी न0 1 व 3 फाइनल डिक्री करने का कथन किया।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनकर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त वटवारा स्कीम के अनुसार वादी का दावा मय काउन्टर क्लेम प्रतिवादी न0 1 ता 3 फाइनल डिक्री किए जाने योग्य पाए जाने से फाइनल डिक्री किया जाता है।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

वादी को ख0न0 2835 रकवा 0.35, 2837 रकवा 0.33 है0 2799 रकवा 0.58
2835/7616 रकवा 0.01 2834/1 रकवा 0.03, 2817/1 रकवा 0.14, 2818/1
रकवा 0.10, कुल किता 7 रकवा 1.54 है0 का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता
है। प्रतिवादी न0 1 को ख0न0 2834 रकवा 0.70, 2817 रकवा 0.35, 2818 रकवा 0.48
कुल किता 3 रकवा 1.53 है0 का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। प्रतिवादी
न0 02 ख0न0 2836 रकवा 0.12 , 2840 रकवा 0.23, 2839 रकवा 0.13, 2798 रकवा
0.22, 2799/2 रकवा 0.06 कुल किता 5 रकवा 0.76 है0 का खातेदार काश्तकार
धोषित किया जाता है। प्रतिवादी न0 03 के ख0न0 2836/1 रकवा 0.11, 2840/1
रकवा 0.23, 2839/1 रकवा 0.13, 2798/1 रकवा 0.22, 2799/1 रकवा 0.07, कुल
किता 5 कुल रकवा 0.76 है0 का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा
आराजी ख0न0 2838 रकवा 0.02 है किस्म गै0मु0 चाह जुगलकिशोर, पुरुषोत्तम पि0
भगवान सहाय हि0 1/3, तुलसीराम पुत्र रामनिवास हि0 1/3, यशवन्त पुत्र हरिवल्लभ
हि0 1/3 जाति महाजन के नाम सयुक्त रूप से रहेगा। उभय पक्षकारान एक दूसरे
की आराजीयात मे व्यवधान नही करे। पर्चा डिक्री जारी हो। *बंखारा स्कीम संतकन रहे*
निर्णय आज दिनांक 21.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे
सुनाया गया।




(जगदीश आर्य)
उप-जिला कलेक्टर
टोडाभीम जिला करौली